इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020—भाद्र 20, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

एफ ए 3-85/2017/1/पाँच (52) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-85-2017-1-पांच (07) दिनांक 08 फरवरी, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,–

(i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

तालिका

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च,2020 और अप्रैल 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त करोड़ 5 रुपये तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में, या संघ शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और नीकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप है	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3 -ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे प्रस्तुत की जाती है पहले
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3 -ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3 -ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3 -ख** में विवरणी 12 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3 -ख** में विवरणी 23 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3 -ख** में विवरणी 27 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्लिखित परंतुको को अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

" परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत किसी कर अवधि मे देय विलंब शुल्क को रुपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करती है जिन्होने नियत तारीख तक माह जूलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है:

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होने नियत तारीख तक माह जूलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है ।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-85-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-85-2017-1-पांच (52), दिनांक 11 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2020

No. F A 3-85/2017/1V (52) : In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this departments notification No. F A-3-85-2017-1-V-(07) dated the 08th February, 2019, namely:–

In the said notification,-

(i) in the third proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely : –

"Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
		March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 6th day of July, 2020
		May, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 12th day of September, 2020
		June, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 23rd day of September, 2020
		July, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 27th day of September, 2020

(ii) after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided also that the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of an amount of two hundred and fifty rupees for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.